रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 526] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 21, 1994/आश्विन 29, 1916
No. 526] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 1994/ASVINA 29, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1994

का.आ. 756(अ):—केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269पख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित प्राधिकरण, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास का गठन अधिसूचना सं. का.आ. 684(अ), तारीख 24 सितम्बर, 1986 द्वारा किया था;

और श्री एस.सी. प्रसाद, मुख्य इंजीनियर, सदस्य, समुचित प्राधिकरण, मुम्बई को 4 जुलाई, 1994 से 29 जुलाई, 1994 तक 26 दिन की उपार्जित छुट्टी मंजूर की गई है ;

और श्री एम.बी. कोदनानी, मुख्य इंजीनियर, सदस्य, समुचित प्राधिकरण अहमदाबाद को श्री एस.सी. प्रसाद की अनुपस्थिति की कालावधि के दौरान समुचित प्राधिकरण, मुम्बई के सदस्य के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269यख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 684 (अ), तारीख 24 सितम्बर, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 2 में,

"समुचित प्राधिकरण, मुम्बई" से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने आने वाली मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(iii) श्री एम.बी. कोदनानी, मुख्य इंजीनियर"।

[फा. सं. 316/75/94-ओ.टी.]

प्रवीण कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1994

S.O. 756(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government constituted appropriate authority, Delhi, Bombay, Calcutta and Madras vide notification No. S.O. 684(E), dated 24th September, 1986 ;

And whereas Shri S. C. Prasad, Chief Engineer, Member, Appropriate Authority, Bombay has been granted Earned Leave for 26 days with effect from 4th July, 1994 to 29th July, 1994 ;

And whereas, Shri M. B. Kodnani, Chief Engineer, Member, Appropriate Authority, Ahmedabad has been given additional charge as Member, Appropriate Authority, Bombay during the period of absence of Shri S. C. Prasad ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. S.O. 684(E), dated 24th September, 1986, namely :—

In column 2 of the Table to the said notification for item (iii) occurring against serial number 2 relating to "Appropriate Authority, Bombay", the following item shall be substituted, namely :—

"(iii) Shri M. B. Kodnani, Chief Engineer".

[F. No. 316|75|94-OT]

PRAVIN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994